न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर
पीठासीन अधिकारी कमर चौधरी आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 67/16 वाद

1. किशनलाल डांगी पिता श्री हेमराज उर्फ हेमा जी डांगी, निवासी 1107 श्री नाथ कॉलोनी, पुला, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती सीमा डांगी पुत्री श्री हेमराज उर्फ हेमा डांगी पत्नी श्री किशनलाल डांगी निवासी 363, भमलाई, लखावली तह. बडगांव जिला उदयपुर (राज.)

वादीगण

बनाम

1. लोगर डांगी पिता श्री औंकार जी डांगी, निवासी पुलां, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. बालु डांगी पिता श्री औंकार जी डांगी, निवासी पुलां, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. हेमराज उर्फ हेमा डांगी पिता श्री औंकार जी डांगी, निवासी पुलां, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. मनोहर डांगी पिता श्री हेमराज उर्फ हेमा डांगी, निवासी पुलां, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती शोभा कर्वा पत्नी श्री अशोक जी कर्वा निवासी 6–ए, न्यु फतहपुरा, उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती रूपल भण्डारी पत्नी श्री ललित जी भण्डारी निवासी 31, अलकापुरी, उदयपुर (राज.)
7. हेमन्त कोठारी पिता श्री जी. एस. कोठारी निवासी 12–सी, मधुबन, उदयपुर (राज.)
8. रमेश चन्द्र कुम्हार पिता श्री मोडीराम कुम्हार, निवासी बडी, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर
9. प्रियंका पुत्री कमलसिंह जी चौधरी निवासी खारोल कॉलोनी फतेहपुरा, उदयपुर (राज.)
10. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार बडगांव उदयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री भरत सनाढ्य अधिवक्ता वादीगण उपस्थित
श्री हनुमान प्रसाद शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 8, 9 उपस्थित
श्री सम्पतलाल बोहरा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 6, 7 उपस्थित

निर्णय

दिनांक :

वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों की तलबी की गयी। प्रतिवादी संख्या 6, 7 की ओर से सुनवाई दिनांक 18.4.17 को

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है वादी द्वारा जो वाद के जो वाद के कलम संख्या 2 में दर्शाया सजरे के अनुसार औंकार पुत्र श्री भेरा डांगी का स्वर्गवास 15.5.1988 को हो चुका था । मृत्यु के समय दो पत्नीयां 5 लडकिया व 3 लडके जीवीत थे। औंकार जी सम्पति का विभाजन उसके वारीसानों के मध्य हो चुका था। हेमराज उर्फ हेमा डांगी के पास जो जायदाद आयी वह उनकी व्यक्तिगत जायदाद है व्यक्तिगत जायदाद का मौरूसी कहकर दावा पेश किया जो नहीं चल सकता है। पैरा 2 में वादी ने जानबुझकर 3 लडके ही बताये जबकि उनकी 5 लडकीया भी है जिनको नहीं बताया है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के प्रोविजनों के अनुसार अगर कोई स्त्री वारिस के रूप में आ जाती है तो वह जायदाद हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार ही मृतक के वारिसान में वेस्ट होती है। हेमराज उर्फ हेमा के पास जो जायदाद आयी वह धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार आयी जो व्यक्तिगत जायदाद होने से उसे हस्तान्तरण करने का पूरा अधिकार है। इस आधार पर वादी का वाद काबिल निरस्त है । हेमराज द्वारा अपने हक व हिस्से की भुमि नियमानुसार प्रतिवादी 5, 6, 7 को विक्रय की है। इसी तरह प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादी 5, 6, 7 को विक्रय हुआ है। वादी कथित जमींन के सहखातेदार काश्तकार नहीं है। हेमा उर्फ हेमराज को अपनी भुमि को हस्तान्तरण करने का पूरा अधिकार था। इसलिए 29.7.98 एव 5.8.98 को विक्रय पत्र के आधार पर किया गया हस्तान्तरण नियमानुसार किया गया है। ऐसे विक्रय पत्र को निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः कथित वाद बार्ड बाई लॉ है तथा हिन्दु लॉ के अनुसार तथा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 53 के अनुसार जब तक वादी सहखातेदार नहीं हो तब तक वादी को बंटवाडे का वाद लाने का अधिकार नहीं है। वादीगणों ने कथित विक्रय पत्रों को निरस्त कराने सम्बन्धी दाद चाही है। जो राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं दि जा सकती है। ऐसा दावा केवल दिवानी न्यायालय में ही लाया जा सकता है। राजस्व न्यायालय में केवल थर्ड शिड्यूल में वर्णित दावे ही आ सकते है।

अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद इसी स्टेज पर निरस्त कराये जाने का आदेश फरमाया जावे।

वादीगण ने प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का दिनांक 27.9.17 को जवाब प्रस्तुत किया। जवाब में दर्शाया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 स्वीकार है। स्व. उंकार जी की दोनो पत्नीयों का स्वर्गवास हो गया है उनके हक व हिस्से की भुमि उनकी संतानो/विधिक वारिसानों में निहित हो गयी है। परन्तु वारीसानों के मध्य भुमि का विभाजन आज दिनांक तक नहीं हुआ है। हेमराज उर्फ हेमा डांगी के पास कोई जायदाद बंटवाडे से आयी हीं नहीं तो उनकी व्यक्तिगत जायदाद कैसे हो सकती है। स्वर्गीय उंकार जी के 3 पुत्र होने से एवं राजस्व रिकोर्ड में उनका नाम होने से दावे में पक्षकार बनाया गया। उनकी पुत्रीयों का नाम राजस्व रिकोर्ड मं अंकित नहीं होने से पक्षकार नहीं बनाया गया । हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के प्रोविजन का कतई यह अर्थ नहीं है कि यदि कोई महिला वारिस के रूप में आ जाती है तो वह

जायदाद हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार ही वारिसान में वेस्ट होगी। उंकार जी की मृत्यु 15.8.88 को हो गई थी। तब उस समय सारी जायदाद वादीगण एवं प्रतिवादी 1 से 4 में भुमि वेस्ट हो चुकी है। उसी अनुसार सभी पक्षकार संयुक्त/शामलाती रूप से काबिज चले आ रहे है। हेमराज उर्फ हेमा के पास कोई जायदाद धारा 8 हिन्दू उत्तरधिकार अधिनियम के अनुसार नहीं आयी है न ही आ सकती है। अन्य वारिसान की सहमति के बिना भुमि का विक्रय/ हस्तान्तरण करने का उन्हे कोई अधिकार नहीं था। वादीगण को हक व अधिकार दादा स्व. श्री उंकार जी की मृत्यु होते ही 15.8.88 को प्राप्त हो गया था।

प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 5 गलत व झुठी होने से अस्वीकार है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 का प्रत्येक का 1/12–1/12 हिस्सा बनता है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व्यक्तिगत का नहीं वरन उनके परिवार का 1/3–1/3 हिस्सा बताया गया है। इस प्रकार संयुक्त शामलाती जायदाद में प्रतिवादी संख्या 3 को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 7 भी गलत व झुठी होने से अस्वीकार है। स्वर्गीय दादा की सम्पत्ति में जन्म से अधिकार है।जायदाद व्यक्तिगत न होकर मौरूसी /पैतृक सम्पत्ति है। हेमा जी द्वारा हस्तान्तरण दिनांक 29.7.98 व 5.8.98 को किया गया है। जो नियमानुसार निरस्त योग्य है वादीगण ने अपने वाद में सहखातेदार होने की घोषणा भी मांगी है। वादीगण ने सही वाद प्रस्तुत किया है कोई तथ्य नही छिपाया है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 11 गलत होने से अस्वीकार है वादग्रस्त आराजीयात में अपने नाम घोषणा व इन्द्राज कराने ही तो राजस्व न्यायालय में आये है। कलम संख्या 12 वादीगण का वाद थर्ड शिड्यूल में फॉल करता है एवं राजस्व न्यायालय में लाई करता है। कलम संख्या 13 में प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र की मालयित कायम नहीं की है। जिससे प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। विशेष कथन में भी दर्शाया कि प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया इसलिए प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं है। प्रतिवादीगणों ने वादी के वाद को लिंगरओन करने के लिए एवं परेशान करने के लिए बेबुनियाद आधारों पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में पेश किया जो खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। प्रतिवादी अधिवक्ता ने बहस में दर्शाया कि भुमि व्यक्तिगत सम्पति है मौरूसी नहीं है। प्रतिवादी अधिवक्ता ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में हुए निर्णय RRT 2010 (1) पेज 273–276 एवं RRD 2010 पेज 737–741 का भी विस्तार से बहस में विवेचन किया।

वादी की ओर से बहस में दर्शाया कि वादग्रस्त भुमि आज भी शामलाती है कोई बंटवाडा नहीं हुआ है। मौरूसी भुमि होने से वादीगणों का जन्म से दादा जी की भुमि में हक व हिस्सा निहित है। वादी अधिवक्ता ने बहस में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णय 2013(1) CT RRT 2012 (1) एवं RRD 14.11.2010, RRT 2010 (1) का भी बहस में विस्तार से विवेचन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड अनुसार भुमि का बेचान 1998 में हुआ जबकि मृत्यु दादाजी की 1988 में हुई है। उभयपक्ष की बहस पर गहनता से मनन करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादीगणों द्वारा प्रस्तुत वाद में जन्म तारिख किसनलाल की भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी परिचय पत्र अनुसार 1989 एवं वादी संख्या 2 सीमा की 1991 दर्ज है। इनके दादा जी श्री उंकार डांगी की मृत्यु 1988 में हो चुकी है। जब वादीगणों का जन्म

ही नहीं हुआ था। इससे वादीगणों का दादा स्वर्गीय उंकार की भुमि में हक व हिस्सा जताना विधी अनुरूप प्रतित नहीं होता है। न ही हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कोई हक व हिस्सा बनता है। न्यायालय द्वारा वादी को दसवी की अंक तालिका जन्म दिनांक के प्रमाणिकरण हेतु प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया गया। परन्तु वह केवल दूसरी कक्षा की टी.सी. ही प्रस्तुत की। जबकि वादी अधिवक्ता ने बहस में ही दर्शाया कि वादी संख्या 1 नर्सिंग में है। इससे यह प्रतित होता है कि वह ज्यादा पढा लिखा है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज वोटर आईडेन्टीटी कार्ड के अनुसार वादी संख्या 1 का जन्म 1989 एवं वादी संख्या 2 का जन्म 1991 का है। दादाजी की मृत्यु के बाद जन्म होने से वादीगणों का हक व हिस्सा विधी अनुसार नहीं बनता है। अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद मौजा देवाली पटवार हल्का शोभागपुरा की वादग्रस्त आराजी किता 5 रकबा 0.9750 हेक्टर का बाबत 88–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

कमर चौधरी
(आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी कमर चोधरी आई. ए. एस. मुकद्मा 67/16 सन 2016 सीगह वाद (1) किशनलाल डांगी पिता श्री हेमराज उर्फ हेमा जी डांगी, निवासी 1107 श्री नाथ कॉलोनी, पुला, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर (राज.) (2) श्रीमती सीमा डांगी पुत्री श्री हेमराज उर्फ हेमा डांगी पत्नी श्री किशनलाल डांगी निवासी 363, भमलाई, लखावली तह. बडगांव जिला उदयपुर (राज.)बनाम (1) लोगर डांगी पिता श्री औंकार जी डांगी, निवासी पुलां, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर (राज.) (2) बालु डांगी पिता श्री औंकार जी डांगी, निवासी पुलां, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर (राज.) (3) हेमराज उर्फ हेमा डांगी पिता श्री औंकार जी डांगी, निवासी पुलां, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर (राज.) (4) मनोहर डांगी पिता श्री हेमराज उर्फ हेमा डांगी, निवासी पुलां, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर (राज.) (5) श्रीमती शोभा कर्वा पत्नी श्री अशोक जी कर्वा निवासी 6–ए, न्यु फतहपुरा, उदयपुर (राज.) (6) श्रीमती रूपल भण्डारी पत्नी श्री ललित जी भण्डारी निवासी 31, अलकापुरी, उदयपुर(राज.) (7) हेमन्त कोठारी पिता श्री जी. एस. कोठारी निवासी 12–सी, मधुबन, उदयपुर (राज.) (8) रमेश चन्द्र कुम्हार पिता श्री मोडीराम कुम्हार, निवासी बडी, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर (9) प्रियंका पुत्री कमलसिंह जी चौधरी निवासी खारोल कॉलोनी फतेहपुरा, उदयपुर (राज.) (10) राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार बडगांव उदयपुर अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने कमर चोधरी आई. ए. एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। हुआ। वादी की और से अधिवक्ता श्री भरत सनाढ्य प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9, की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, प्रतिवादी संख्या 6 व 7 की ओर से अधिवक्ता श्री सम्पतलाल बोहरा की उपस्थिति आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि

प्रतिवादीगण का प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद वास्ते घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

और इस वाद के खर्चे लेखे ..... रुपये की राशि .....आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ..... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ..... द्वारा .....को दी जाए।

यह आज तारीख ..... माह ..... सन् ..... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश .....

पद .....

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		